

Title: Regarding collision of Mokama-Howrah passenger Train with relief light engine on Mokama-Kiul section of Eastern Railway.

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि 214 डाउन मोकामा-हावड़ा पैसेंजर और एक रिलीफ लाइट इंजन, जिसे पैसेंजर गाड़ी के इंजन के खराब हो जाने के कारण ब्लाक खंड में खड़ी गाड़ी को हटाने के लिए भेजा गया था, के बीच एक दुर्घटना हो गई है। यह दुर्घटना 20.11.2001 को 1740 बजे पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल के मोकामा क्यूल खंड पर बरहिया और मनकाटा स्टेशनों के बीच हुई।

214 डाउन मोकामा-हावड़ा पैसेंजर गाड़ी, इंजन की खराबी के कारण लगभग 1620 बजे डुमरी हाल्ट के निकट खड़ी हो गई। ब्लाक खंड क्लियर करने के लिए लगभग 1730 बजे स्टेशन से गाड़ी के पिछले छोर की तरफ एक रिलीफ लाइट इंजन भेजा गया था। रिलीफ लाइट इंजन जब खराब गाड़ी के पीछे की ओर से जा रहा था तो वह वहां पर खड़ी 214 डाउन पैसेंजर गाड़ी से टकरा गया जिसके परिणामस्वरूप 2 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए। 2 सवारी डिब्बे जो पटरी से उतरे उनकी स्थिति गाड़ी के इंजन से 9वीं और 10वीं थी।

इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के परिणामस्वरूप 7 रेल कर्मचारियों सहित कुल 10 व्यक्तियों की जानें गईं, 3 व्यक्ति गंभीर रूप से ज़ख्मी हुए, 4 लोगों को मामूली चोटें आईं। जिन व्यक्तियों की जानें गईं वे रिलीफ लाइट इंजन पर सवार थे। घायलों को रेलवे अस्पताल, दानापुर में भर्ती कराया गया है और उन्हें यथासंभव सर्वोत्तम उपचार देने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जा रही है। मृतक के आश्रितों को 1,00,000 रुपये, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 15,000 रुपये और मामूली रूप से ज़ख्मी को 5,000 रुपये की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

रेल दावा अधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने पर उन्हें मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा। मुआवजे की राशि घायलों के लिए 32,000 रुपये से लेकर मृत्यु के मामले में 4,00,000 रुपये तक होती

है। घायल व्यक्तियों की सहायता करने और मृतकों के आश्रितों को दावे के फार्म भरने में सहायता करने के लिए रेल प्राधिकारियों को निदेश दे दिये गये हैं ताकि वे रेल दावा अधिकरण से शीघ्र मुआवज़ा प्राप्त कर सकें। दुर्घटना में फंसे यात्रियों को दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के अगले भाग को क्लियर करके दुर्घटना स्थल से निकाल लिया गया है। खंड पर गाड़ी चालन बहाल कर दिया गया है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही घायल यात्रियों को तत्काल चिकित्सा राहत पहुंचाने के लिए झांझा और दानापुर से दुर्घटना राहत चिकित्सालय दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिए गए थे। राहत कार्यों की देखभाल के लिए ब्रांच अधिकारियों के साथ मंडल रेल प्रबंधक दानापुर तत्काल दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। महाप्रबंधक पूर्व रेलवे भी मुख्यालय के अधिकारियों की टीम के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही मैं स्वयं रेलवे बोर्ड के सदस्य इंजीनियरिंग, सदस्य यातायात और सदस्य यांत्रिक के साथ स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर गया था। प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण रिलीफ लाइट इंजन के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर और 214 डाउन के पैसेंजर गाड़ी के गार्ड को निलंबित कर दिया गया है। रेल संरक्षा आयुक्त पूर्व सर्किल इस दुर्घटना की जांच करेंगे।

रेलवे तथा स्वयं अपनी ओर से मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायल व्यक्तियों के प्रति भी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है कि शोकाकुल परिवारों को संवेदना व्यक्त करने में सदन मेरा साथ देगा। मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि दोगी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Speaker, Sir, there should be a discussion on the statement by the hon. Minister on the train accident. ...*(Interruptions)*

* Also placed in Library . See No. LT. 4236/2001